न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः झंवर लाल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्याः:— 19/2021

उनवान

1. श्री सुरेश कुमार पिता स्व0 बंशीलाल विजयवर्गीय जाति विजयवर्गीय नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती गजरी पत्नी स्व0 बिहारी बंजारा नि0 गोडा का खेडा रतनपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)
2. श्री राजु पिता स्व0 बिहारी बंजारा जाति बंजारा नि0 रतनपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)
3. श्रीमति केशर पत्नि कालू बंजारा नि0 रतनपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)
4. श्री कालू पिता बिहारी जाति बंजारा नि0 रतनपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 26.05.2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक **04.03.2021** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व **ग्राम रूपालिया पटवार हल्का आमलीगढ भू.अ.नि.क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. की आराजी संख्या 16, 23, 23/1, 26/1, 26 कुल किता 05 कुल रकबा 10 बीघा यानि 2.99 है0** भूमि स्थित है। वर्णित कृषि आराजियात में विपक्षीगण पडौसी कास्तकार है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आपस में सीमा चिन्ह बाबत विवाद होने से प्रार्थी ने मौके पर पत्थरगढी की जाने आवेदन अन्तर्गत धारा 111—128 भू—राजस्व अधिनियम का प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर दिनांक 03—06—2006 को आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश दिनांक 03/06/2006 की पालना में दिनांक 24/06/2006 को भू—अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ व पटवारी हल्का द्वारा मौके पत्थरगढी की जाकर मौका पर सीमा चिन्ह कायम कर मौके पर पत्थर गाढे जाकर सीमा पर पत्थरगढी की गई। उक्त प्रकरण में मौके पर पत्थरगढी के पत्थर गढ़ें हुऐ थे जिन्हे विपक्षीगण द्वारा हाल ही मे दिनांक 25/06/2020 को पत्थरों का उखाड़ कर फेंक दिये व लडाई झगडा व विवाद करने लग गये जिसकी प्रार्थी द्वारा थाना मंगरोप ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई किन्तु विपक्षीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए यह आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष पत्थरगढी के उखाड़े गये पत्थरों को पुनः प्रतिस्थापित करने हेतू व मौके से पत्थरगढी जो कि एजकीय कर्मचारियों द्वारा की गई जिसे उखाड़ कर फेंकने का जुर्म किया है जिसके लिए विपक्षी को दण्डित किया जाने हेतू आवेदन स्वीकार किया जाकर पुनः प्रतिस्थापित करने हेतू के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **05.03.2021** को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या **01 लगायत 04** बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड व पूर्व पत्थरगढी दिनांक 03.06.2006 व मौका पर्चा दिनांक 24.06.2020 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी द्वारा स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी पूर्व में करवा दी गई है परन्तु मौके पर पत्थरगढी के पत्थर गढ़ें हुऐ थे जिन्हे विपक्षीगण **संख्या 01 से 04** द्वारा मे दिनांक 25/06/2020 को पत्थरों को उखाड़ कर फेंक दिये व लडाई झगडा व विवाद करने लग गये जिससे पत्थरगढी के उखाड़े गये पत्थरों को विपक्षीगण **संख्या 01 से 04** के खर्चे पर पुनः प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम रूपालिया पटवार हल्का आमलीगढ भू.अ.नि.क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. की आराजी संख्या 16, 23, 23/1, 26/1, 26 कुल किता 05 कुल रकबा 10 बीघा यानि 2.99 है0 की मौके पर दिनांक 24/06/2006 को पत्थरगढी से पत्थढ गाढे गये जिन्हे मौके पर उखाड कर फेंके है जिन्हे पुनः माप कर विपक्षीगण संख्या 01 से 04 के खर्चे पर पुनः प्रतिस्थापित** करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 26.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा